

भारत में घरेलू कामगार महिलाओं को प्रभावित करने वाली सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन

Rashmi Khobragade, Research Scholar, Department of Sociology, JRNU, Udaipur (Rajasthan)

Dr. Purnima Saini, Associate Professor, Department of Sociology, JRNU, Udaipur (Rajasthan)

प्रस्तावना

समाज मानव जीवन का एक चिरन्तन आधार है, मानव—जीवन के प्रारम्भ से ही समाज उसके साथ है। प्रत्येक समाज की अपनी कोई-न-कोई व्यवस्था होती है, जहाँ व्यक्ति परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं।¹ सभी समाजों की व्यवस्था यह मानकर चलती है कि सभी व्यक्तियों को अपने पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त हों। मनुष्य-मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। सबको समान शिक्षा, सुविधाएँ, वेतन, सम्पत्ति एवं जीवन अवसर प्राप्त हों। दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ किसी आधार पर विषमता न पायी जाती हो। जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय धर्म, भाषा, सम्पत्ति, रंग, यौन-भेद आदि के आधार पर हर समाज में विषमता पाई जाती है। लिंग के आधार पर प्रारम्भ से ही हर समाज में स्त्री व पुरुष की स्थिति में भेद किया जाता रहा है। वर्तमान समय में आधुनिकीकरण व शिक्षा का इतना प्रसार होने के बाद भी समाज में लिंग-भेद व्याप्त है तथा महिलाएँ आज भी समानता हेतु संघर्षरत हैं।²

संबंधित साहित्य का अध्ययन

कलकत्ता स्कूल ऑफ सोशल वर्क (1980)³:

द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार कलकत्ता के केवल 6 प्रतिशत कामगारों ने गृहस्वामी के साथ समझौता किया बाकी क्षेत्रों में यह मुश्किल से एक या दो प्रतिशत ही था। यह समझौता किसी तीसरे व्यक्ति (एजेण्ट) द्वारा करवाया गया था अतः यहाँ शोषण और बढ़ गया। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि गृहस्वामी कामगारों को काम से अवकाश भी बहुत कम देते थे, जो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा था।

गठिया (Gathia) (1983)⁵:

ने अपने अध्ययन में पाया कि घरेलू कामगार प्रायः घर के विभिन्न कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे-बर्तन धोना, घर की सफाई कर्पड़े धोना, खाना बनाना, सब्जी खरीदना इत्यादि। इनमें से अधिकांश घरेलू कामगार गंदी बस्तियों में नीरसता का जीवन बिताते हैं तथा हर दिन जीने के लिए संघर्ष करते हैं। प्रतिदिन वे बहुत सी समस्याओं का समाना करते हैं, जैसे-कार्य के अधिक घण्टे, काम की असुरक्षा, घर तथा बाहर निम्न प्रस्थिति, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ आदि-आदि।

दिघे (1985)⁹ ने अपने शोध पत्र 'Women employment in the urban informal sector-some critical issues' में बताया कि महिलाओं का एक बड़ा भाग 'अदृश्य' है क्योंकि वे घर पर कार्य करती हैं तथा अनौपचारिक रूप से वैतनिक या अवैतनिक कार्य करती हैं तथा उनका कार्य दिखाई भी नहीं देता। इसका मुख्य कारण है हमारी संस्कृति में महिलाओं की बाहरी क्षेत्र में गतिशीलता पर लगाम रखने की मनोवृत्ति। अनौपचारिक नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने घर में स्व-रोजगार को प्रमुखता दी है। घर पर कार्य करने से असुरक्षा तथा शोषण दोनों से ही ये महिलाएँ बचाव महसूस करती हैं।

भारत में नगरीकरण

आज विश्व के सभी देशों में नगरीकरण की गति बहुत तीव्र है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व की शहरी आबादी तीव्र गति से बढ़ी है। सारणी क्रमांक 1.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की 17.3 प्रतिष्ठत आबादी अर्थात् 62 मिलियन जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की 27.8 प्रतिष्ठत आबादी अर्थात् 285 मिलियन जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर भारत की कुल जनसंख्या की 31.2 प्रतिष्ठत आबादी अर्थात् 377 मिलियन जनसंख्या नगरों में निवास करने वाली हो गई। वही वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की 25.7 प्रतिष्ठत आबादी अर्थात् 217 मिलियन जनसंख्या नगरों में निवास करती थी।

घरेलू कामगार का अर्थ एवं परिभाषाएँ

कामगार वर्ग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञानों और साधारण बातचीत में ऐसे लोगों के वर्णन हेतु किया जाता है, जो निम्न स्तरीय कार्यों (दक्षता, शिक्षा और निम्न आय के मापदंड पर) में लगे होते हैं। कामगार वर्ग मुख्यतः औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं और गैर-औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं वाले शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये शारीरिक श्रम पर आधारित वर्ग हैं, जिन्हें घण्टों के आधार पर मजदूरी दी जाती है।¹⁵ घरेलू कामगार का उपयोग उन व्यक्तियों हेतु किया जाता है जो कि घर-घर जाकर विभिन्न घरेलू कार्यों को सम्पादित करते हैं, अर्थात्-गृहस्वामी के घर का कार्य करने वाले कामगार। ये घरेलू कामगार किसी एक व्यक्ति या फिर पूरे परिवार के लिए तथा उनके आराम हेतु कई सारे कार्य एक साथ संपादित कर सकते हैं।

अनुसंधान पद्धति

अनुसंधान एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित प्रक्रिया है। किसी भी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण अंग होता है – शोध विधि (Research Methodology)। इस के द्वारा ही अनुसंधानकर्ता को सही मार्ग मिलता है तथा उसे नवीन सत्यों का प्रतिपादन करने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। शोध का सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष भी वैज्ञानिक विधि

से चुना हुआ एवं सुविचारित होना चाहिए, जैसे –शोध की विधि प्रतिदर्श, तथ्य संकलन हेतु उपकरण, प्राक्कल्पनाएँ,

सांख्यिकी इत्यादि, जिनका

उल्लेख प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है।

अध्ययन का महत्व (Importance of the Study)

प्रस्तुत अध्ययन घरेलू कामगार महिलाओं की समस्याओं से संबंधित है। इस अध्ययन के द्वारा इस वर्ग की महिलाओं के जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया है। ये महिलाएँ समाजिक, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक सुरक्षाओं से वंचित हैं तथा कहीं–कहीं तो इनकी स्थिति बेहद दयनीय है।

घरेलू कामगार महिलाओं के स्वास्थ्य, कल्याण तथा भविष्य संबंधी कार्यों की उपेक्षा सदैव से होती आई है। कठोर परिश्रम करने के बावजूद जो सम्मान व आदर इन्हें समाज में मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इनके कार्यों को निम्न व हेयदृष्टि से देखा जाता है। ये असंगठित क्षेत्र में बेहद उपेक्षित व शोषित वर्ग है। अतः शोधकर्ता ने इस वर्ग की वास्तविक स्थिति को दर्शाने हेतु इनकी समस्याओं को मुख्य मुद्दा बनाते हुए अध्ययन किया ताकि समाज में इनकी वास्तविक समस्याओं के प्रति अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो सके तथा इन समस्याओं के निराकरण के प्रयास भी वास्तविक हो सकें।

अध्ययन की पद्धति

अध्ययन क्षेत्र प्रस्तुत अध्ययन करने हेतु शोधकर्ता ने शहर का चयन किया है। नागपुर मध्य भारत का

सबसे बड़ा शहर तथा अधिकतम शिक्षा दर (91.92 प्रतिशत) वाले शहरों में से एक है।² यह भारत के राज्य की द्वितीय राजधानी तथा मुंबई व पुणे के बाद तीसरा बड़ा शहर है। इसकी कुल जनसंख्या 2,405,665 लाख (2011) है।³ यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 13 वाँ सबसे बड़ा शहर है। यह नगर भारत का केंद्र स्थल है।⁴ ए. बी. पी. न्यूज के एक सर्वेक्षण के अनुसार इस शहर को रहने योग्य, जीवंत, हरा-भरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का एक सबसे अच्छा शहर माना गया है।⁵ 6,7 अपने संतरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे 'ऑरेंज सिटी' भी कहा जाता है।⁸ इस शहर का राजनैतिक महत्व इस बात में है कि यहाँ हिन्दू राष्ट्रवादी संगठन 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' (आर. एस. एस.) का मुख्यालय स्थित है तथा यह दलित बौद्ध आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नागपुर शहर को 'टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया' भी कहा जाता है, क्योंकि

यहाँ के आसपास भारत के कई टाइगर रिजर्व्स स्थित हैं। 2010–2011 के दौरान करीब 2765 वर्ग किमी क्षेत्र जंगलों के अंतर्गत आता था।

विष्णेषण एवं निर्वचन

सारणी क्रमांक उत्तरदाता के व्यवसाय के प्रकार संबंधी सारणी

अनुक्रमांक	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	बर्तन साफ करना	198
2.	घर की साफ–सफाई	190
3.	कपड़े धोना	120
4.	खाना बनाना	150
5.	बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना	50
6.	बर्तन साफ करना व घर की साफ–सफाई	180

प्रस्तुत अध्ययन में घरेलू कामगार महिलाओं के व्यवसाय के प्रकार में बर्तन साफ करना, घर की साफ–सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। कुछ घरेलू कामगार महिलाएँ ऐसी भी थीं जो कि दो काम एकसाथ करती थीं, जैसे–बर्तन साफ करना व घर की साफ–सफाई करना तथा कुछ महिलाएँ ऐसी थीं जो कि एक साथ तीन कार्य भी करती थीं, जैसे–बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना इत्यादि। इसके मद्देनजर उत्तरदाताओं की संख्या प्रत्येक कार्य में से ली गई है।

उपरोक्त सारणी के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन में ऐसी घरेलू कामगार महिलाओं की संख्या 198 है, जो केवल दूसरों के घरों में बर्तन साफ करने का ही कार्य करती हैं तथा इनका प्रतिष्ठत 99 है। 190 घरेलू कामगार महिलाएँ घर की साफ–सफाई का काम करती हैं तथा इनका प्रतिष्ठत 95 है। दूसरे घरों में कपड़े धोने वाली घरेलू कामगार महिलाओं की संख्या 120 है तथा इनका प्रतिष्ठत 60 है। केवल खाना बनाने वाली घरेलू कामगार महिलाएँ 150 हैं तथा

उनका प्रतिष्ठत 75 है। ऐसी घरेलू कामगार महिलाओं की संख्या 50 है जो बर्तन साफ करने, कपड़े धोने व खाना बनाने जैसे तीनों ही कार्य करती हैं तथा इनका प्रतिष्ठत 25 है। इसी प्रकार बर्तन साफ करने व घर की सफाई जैसे दो कार्य करने वाली घरेलू कामगार महिलाओं की संख्या 180 है तथा इनका प्रतिष्ठत 90 है। प्रस्तुत अध्ययन में ऐसी घरेलू कामगार महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है जो दूसरे घरों में केवल बर्तन साफ करने का कार्य करती हैं तथा इनका प्रतिष्ठत 99 है। सबसे कम ऐसी घरेलू कामगार महिलाएँ हैं जो बर्तन साफ करने, कपड़े धोने व खाना बनाने जैसे तीनों कार्य करती हैं तथा इनका प्रतिष्ठत 25 है। अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश घरेलू कामगार महिलाएँ बर्तन साफ करने एवं घर की साफ-सफाई का काम करती हैं। ये महिलाएँ घर-घर जाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने हेतु अनेक प्रकार के घरेलू कार्यों को निपटाती हैं। शोध सारांश, निष्कर्ष एवं नीति क्रियान्वयन

घरेलू कामगार महिलाओं के कार्य चुनने के पीछे छिपे कारण एवं कार्यक्षेत्र संबंधी समस्याओं के अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं द्वारा घरेलू कामगार का कार्य चुनने के पीछे छिपे कारणों का आकलन करने पर पाया कि निर्धनता (20.5%) एक बहुत बड़ा कारण है। निर्धनता के अभिशाप के अलावा भी अन्य कारण हैं, जैसे—अनपढ़ होना, बेरोजगारी, घर की परिस्थितियाँ, बच्चों की देखभाल हेतु, पति की मृत्यु, कम पढ़े-लिखे होना आदि।

- ✓ घरेलू कामगार महिलाएँ अपना कार्यक्षेत्र अपने घर के पास ही चुनती हैं। अतः वे अधिकतर पैदल ही चली जाती हैं। घरेलू कामगार महिलाएँ अपना पैसा बचाने हेतु अधिकतर (95%) अपने घर से कार्यक्षेत्र पैदल ही जाती हैं अतः वे अपना कार्यक्षेत्र भी घर के पास ही पसन्द करती हैं।

- ✓ घरेलू कामगार महिलाएँ की निम्न प्रकार की कार्यक्षेत्र संबंधी समस्याएँ अध्ययन में दिखाई दी हैं। अधिकांश घरेलू कामगार महिलाओं को (98.5%) कम पैसे में अधिक काम करना पड़ता है जो कि इनके कार्यक्षेत्र संबंधी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा मौखिक प्रताड़ना, समय पर खाना न खाने देना, चोरी का इल्जाम लगना, शारीरिक प्रताड़ना आदि समस्याओं का अपने कार्यक्षेत्र में मुख्यतः सामना करना पड़ता है।

- ✓ अध्ययन में पाया गया कि घरेलू कामगार महिलाओं को गाली-गलौच व अपशब्द के रूप में मौखिक — प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। मालिक द्वारा हाथ लगाने, अश्लील हरकत करने एवं हर समय घूरते रहने जैसी

शारीरिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है। कार्यक्षेत्र में ऐसे अमानवीय कृत्यों की भरमार पाई गई।

संरक्षण सूची

1. Sengupta, P. (1960) : "Women Workers of India," Asia Publishing House, New Delhi.
2. Sengupta, P. (1974) : "The Story of Women of India," Indian Book Company, New Delhi.
3. Sewa-ISST (2008) : "Socio-Economic Conditions of Domestic Workers in Ahmedabad," FES, New Delhi.
4. Sharma, Kalpana (2009) : "Domestic Workers in India no better than Slaves," One World South Asia, <http://southasia.oneworld.net/opinioncomment/domestic-workers-in-india-no-better-than.slaves>.
5. शर्मा, कुमुद (2008) : "आधी दुनिया का सच", हिंदी बुक सेंटर, नई दिल्ली।
6. Singh, A. N. (2001) : "Women Domestic Workers: Socio-Economic Life," Shipra Prakashan, Delhi.
7. Singh, R.K. (2013) : "International Domestic Workers Day", The Sangai Express: Manipur.
8. Singh, Vinita (2007) : "Women Domestics", Rawat Publications, Jaipur.
9. सिंधी, डॉ. एन. के., गोस्वामी (1999) : "समाजशास्त्र विवेचन," राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
10. सिन्हा, डॉ. एस. के. : "नारी शोषण: समस्याएँ एवं उनका निराकरण," सुमित इन्टरप्राइजेस, नई दिल्ली।
11. Smith, Piggei (2011) : "Pitfalls of Home: Protecting the Health and Safety of Paid domestics in the United States," Canadian Journal of Women and Law.
12. Statistical Abstracts of India (2006) : "Central Statistical Organisation, Ministry of Statistics and Programme Implementation," Government of India, New Delhi.
13. Tagore, Rabindra Nath (2007) : "Editorial Domestic Workers," Link Publication of the Domestic Workers Movement, Vol. 15, No. 3, October.